

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012के अंतर्गत श्रीमति कान्ती देवी पति पंकज साहु, ग्राम- कुमरांग कला, थाना- टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत थाना सं. 52, ग्राम: विंगलात, (रैयती भूमि) खाता सं. 5 के अधीन प्लॉट सं. - 463 ; खाता सं. 63 के अधीन प्लॉट सं. - 513 ; खाता सं. 32 के अधीन प्लॉट सं. - 325; खाता सं. 111 के अधीन प्लॉट सं. - 464 ; खाता सं. 112 के अधीन प्लॉट सं. - 291, 78 ; कुल रकवा:- 2.00 एकड़ (रैयती भूमि) के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_1nd.php पर इस सूचना को ढाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) सी.सी.एल, राँची एवं महाप्रबंधक (आम्रपाली- चन्द्रगुप्त), सी.सी.एल, के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

28.8.23